न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 14/2016

उनवान

1. प्रयाग सिंह
2. विजय सिंह
3. दलपत सिंह
4. व्रजराज सिंह पि. उदय सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम बुबानिया, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सज्जन सिंह
2. ईश्वर सिंह
3. गज कंवर
4. मंगेज कंवर
5. निहाल कंवर पि. रघुवीर सिंह
6. सम्पत सिंह
7. मेमा कंवर
8. हेमा कंवर
9. विष्णु कंवर पि0 नारायण सिंह
10. सूरज कंवर पत्नी राम सिंह
11. हनुमान सिंह
12. नरपत सिंह
13. दलपत सिंह पि. राम सिंह
14. गेंद कंवर पत्नी शम्भू सिंह
15. महावीर सिंह पुत्र छोटू सिंह
16. विजय सिंह उर्फ बजरंग सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम बूबानिया, नसीराबाद,
17. उप पंजीयक नसीराबाद
18. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1, 2 4 से 16 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
व कमलेश गुर्जर
17 व 18 जरियें राज0 पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar
Gupta
Date: 2021.09.24 18:57:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राज0 [illegible] अधि0 1955 सपठित
धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

-: निर्णय :-

दिनांक :- 22.4.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बूबानिया में स्थित है जिसका चौसाला जमाबंदी सम्वत्, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी अनुसार वर्णन निम्न प्रकार है :-

हाल जमाबंदी		वंर्किग जमाबंदी		चौसाला जमाबंदी
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा	ख0न0
2946	0.30	3055	21-8-0	2484
2950	1.70			
2951	0.80			
2952	0.50			

उपरोक्तानुसार चौसाला खसरा नम्बर 2484 वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022-25 में उक्त आराजी उदय सिंह पुत्र मोती सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त व आधिपत्य है। चौसाला खसरा नम्बर 2484 के वंर्किग खसरा नम्बर 3055/2 रकबा 20-8-00 की आराजी नियमानुसार खातेदार उदय सिंह के वासि के नाम करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से शंकर सिंह पुत्र सूर सिंह के नाम अंकन कर दी तत्पश्चात गैर कानूनी तरीके से हाल खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.30, 2950 रकबा 1.70, 2951 रकबा 0.80, 2952 रकबा 0.50 को शेकर सिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के नाम गलत अंकन कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का गलत इन्द्राज दुरूस्त कर आराजी मुतनजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। शेष प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 3055 का रकबा 20-8-0 शंकर सिंह पुत्र शूर सिंह के नाम दर्ज है जबकि वादीगण द्वारा 21-8-0 का वाद पेश किया है। उक्त आराजी जवाबकर्ता के पूर्वजों की खातेदारी थी जो नामान्तकरण संख्या 381 दिनांक 23.06.92 से जवाबकर्ता के नाम दर्ज हुयी। वादीगण द्वारा न्यायालय उपजिलाधीश, अजमेर के प्रकरण संख्या 30/1970 निर्णय दिनांक 11.02.71 का आदेश पेश किया है खसरा नम्बर 2484 के कॉलम के आगे जवाबकर्ता के पूर्वज शंकर का नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पेश किया है। आराजी मुतनाजा पर काफी वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है ?

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है से वादीगण दुरूस्ती के अधिकारी है ?

-- वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नही होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श पी01 से प्रदर्श पी0 33 राजस्व अभिलेख व दस्तावेज पेश किये तथा वादी ब्रजराज सिंह व स्वतंत्र गवाह भैरू के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। चौसाला जमाबंदी से उक्त तथ्यों की पुष्टि भी होती है। वंर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त आराजी किस कारण से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गयी इस बाबत कोई आदेश अथवा नामान्तकरण भी प्रतिवादीगण ने पेश नही किया है। न्यायालय उपजिला अधिकारी, अजमेर द्वारा सिलिंग वाद संख्या 3/70 में पारित आदेश दिनांक 11.2.71 में चौसाला खसरा नम्बर 2484 रकबा 21–8–0 की आराजी अन्य आराजी के साथ उदय सिंह को रखने के लिये अधीकृत किया गया था। साथ ही उक्त आदेश में चौसाला खसरा नम्बर 2482 रकबा 44–5–0 उदय सिंह के स्थान पर राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिये गये थे। किन्तु उक्त आदेश में सहवन से चौसाला खसरा नम्बर 2482 के स्थान पर चौसाला खसरा नम्बर 2484 का अंकन कर दिया। चौसाला खसरा नम्बर 2482 के हाल खसरा नम्बर की आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होकर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त है। जिस पर वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 2484 रकबा 21–8–0 की आराजी खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1359, चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017, 2018 से 2021 व 2022 से 25 में वादीगण के पूर्वज उदय सिंह पुत्र मोती सिंह के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किंग खसरा नम्बर 3055 प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी से वंर्किंग जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज से प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम किस कारण दर्ज हुयी यह प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिकार अभिलेख में कोई भी परिवर्तन बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण के नही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण को अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये है यह प्रतिवादीगण स्पष्ट नही कर पाये है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में उनके पूर्वज की खातेदारी में थी। अतः तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2 व 3 :–

ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 2484 रकबा 21–8–0 की आराजी खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1359, चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017, 2018 से 2021 व 2022 से 25 में वादीगण के पूर्वज उदय सिंह पुत्र मोती सिंह के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 3055 वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.30, 2950 रकबा 1.70, 2951 रकबा 0.80, 2952 रकबा 0.50 शंकर सिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के अंकन है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम तत्पश्चात हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम किस नामान्तकरण व किस आदेश से दर्ज हुयी यह प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिकार अभिलेख में कोई भी परिवर्तन बिना किसी आदेश अथवा नामान्तकरण के नही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण को अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये है यह भी प्रतिवादीगण स्पष्ट नही कर पाये है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में उनके पूर्वज की खातेदारी में थी। न्यायालय उपजिला अधिकारी, अजमेर द्वारा सिलिंग वाद संख्या 3/70 में पारित आदेश दिनांक 11.2.71 में चौसाला खसरा नम्बर 2484 रकबा 21–8–0 की आराजी अन्य आराजी के साथ उदय सिंह को रखने के लिये अधीकृत किया गया था। साथ ही उक्त आदेश में चौसाला खसरा नम्बर 2482 रकबा 44–5–0 उदय सिंह के स्थान पर राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिये गये थे। किन्तु उक्त आदेश में सहवन से चौसाला खसरा नम्बर 2482 के स्थान पर चौसाला खसरा नम्बर 2484 का अंकन कर दिया जबकि रकबा खसरा नम्बर 2482 का ही अंकित है। चौसाला खसरा नम्बर 2482 व 2484 दोनो ही वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज थे। चौसाला खसरा नम्बर 2482 के हाल खसरा नम्बर की आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होकर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है। तथा चौसाला खसरा नम्बर 2484 को वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जिसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई चौसाला जमाबंदी या पूर्व राजस्व अभिलेख भी पेश नही किया है जिसमें उक्त आराजी प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वज के नाम दर्ज हो। वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी, व अन्य दस्तावेज से उक्त कथनों की ताईद होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादी व स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य से उक्त आराजी पर वादीगण व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त भी सिद्व होता है। अतः वादीगण हाल इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 2 व 3 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.30, 2950 रकबा 1.70, 2951 रकबा 0.80, 2952 रकबा 0.50 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

प्रयाग सिंह बनाम राज्जन सिंह

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर – 14 / 2016
पेश करने की दिनांक – 28. 1.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर सीताराम रावत अभिभाषक मुद्दई सुखदेव चौधरी अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2946 रकबा 0.30, 2950 रकबा 1.70, 2951 रकबा 0.80, 2952 रकबा 0.50 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज २२ माह ०५ सन् 2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:39 IST
Reason: SelfAttested